४ 6/16 आज यह पत्रावली कैम्प कोर्ट में पेश हुई। प्रार्थी का मूल वाद निर्णित हो चुका है। अस्थाई प्रार्थना पत्र का आगे चलने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे। निर्णय कैम्प कोर्ट में सुनाया गया।

Scanned by CamScanner